न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 23/2025 निर्णय दिनांकः 18.6.2025
ऑनलाईन नम्बर 2025/44

अंकित प्रजापत पुत्र जैसाराम जाति प्रजापत निवासी कालूबास, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

–प्रार्थी–

बनाम

वीणादेवी पत्नी संतोष कुमार जाति माहेश्वरी सोनी निवासी कालूबास, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

–अप्रार्थी–

1. श्री ललित कुमार मारू अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री बाबूलाल दर्जी अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1 की ओर

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा निम्नलिखित आधारों पर सादर प्रस्तुत है कि प्रार्थी ने उपरोक्त अनुवानी दावा न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है जिसमें सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है। प्रार्थी का खरीद शुदा स्वामित्व की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1812/139 तादादी 0.9122 हैक्टेयर वाकेरोही श्रीडूंगरगढ़ में स्थित है जिस पर प्रार्थी साधिकार खातेदार काबिज चला आ रहा है। प्रार्थी के खातेदारी भूमि के चारों तरफ तारबंदी पट्टियां लगी हुई है तथा भूमि पर एक कुण्ड बना हुआ है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि पर शांति पर काबिज चला आ रहा है तथा हर प्रकार से भूमि का उपयोग उपभोग कर रहा है। प्रार्थी के खेत की सींवे (सीमाये) वर्षो पुरानी बनी हुई है तथा पट्टी–तार–बाड़ के बीच ही वर्षो पुराने कींकर के पैड़ लगे हुए है जो मौका पर मौजूद है। प्रार्थी के खेत के चिपते ही पश्चिमी तरफ अप्रार्थी का खेत खसरा नम्बर 144 रोही श्रीडूंगरगढ़ का स्थित है। पिछले एक सप्ताह से अप्रार्थी प्रार्थी को धमकियां दे रही है कि मैं तुम्हारे व मेरी खेत के बीच की सींव को हटाकर तुम्हारे खेत में जबरदस्ती कब्जा करके रहूंगी। प्रार्थी ने अप्रार्थी से कई बार कहा कि मेरे व आपके खेत के बीच वर्षो पुरानी बाड़, पैड़, तार पट्टी लगी है तथा आपकी कोई जमीन मेरे खेत में नहीं है। फिर दिनांक 05.02.2025 को अप्रार्थी अपने साथ पांच सात आदमियों को लेकर प्रार्थी के खेत की पश्चिमी सींव पर आई और उन लोगों से कहा कि यह सींव, पैड़ हटाने है, तब प्रार्थी ने अप्रार्थी से कहा कि आप जोर जबरदस्ती मेरे खेत की सींव बाड़, पैड़, पट्टियां क्यों हटा रहे हो, तब अप्रार्थी ने कहा कि मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनुगीं तथा दो तीन दिन में सारी बाड़ व पैड़, तार– पट्टियां हटाकर तुम्हारे खेत पर भी कब्जा करके रहूंगी। प्रार्थी अपने खातेदारी भूमि का हर प्रकार से उपयोग उपभोग करने का अधिकारी है जिसमें अप्रार्थी किसी भी प्रकार से जोर–जबरदस्ती प्रार्थी की बाधा उत्पन्न करने का अधिकार नहीं रखता है। अप्रार्थी ने दिनांक 05.02.2025 को प्रार्थी को धमकी खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 1812/139 तादादी 0.9122 हैक्टेयर वाकेरोही श्रीडूंगरगढ़ की पश्चिमी सींव को खुर्द बुर्द

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.07.16 12:39:13 IST
Reason: SelfAttested

3

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ

करने व प्रार्थी की तार– पट्टियां व सींव में लगे कींकर के पड़ आदि को हटाकर वादी के खेत में जबरन कब्जा करने की धमकियां दी है इसलिए प्रार्थी के पास अपने अधिकारों की रक्षार्थ हेतु अप्रार्थी के विरूद्ध वादगत खेत के सम्बन्ध में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाये जाने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं बचा है। प्रार्थी अपने खेत को खरीद के समय से अपने उपयोग उपभोग व कब्जा काश्त में लेता चला आ रहा है । आज तक किसी भी प्रकार का कोई कभी वाद विवाद नहीं रहा है। प्रथम दृष्ट्या मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है । अप्रार्थी बिना किसी कारण के प्रार्थी के खेत की पश्चिमी सींव को खुर्द बुर्द करने व सींव में लगी तार – पट्टियां बाड़ व कींकर के पैड़ को जबरन लाठी के बल पर हटाने पर आमादा हो रही है अगर अप्रार्थिनी अपने गलत मन्सूबों में सफल हो गई तो प्रार्थी को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा, इस प्रकार अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त भी प्रार्थी के पक्ष में है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान्जी से निवेदन है कि अप्रार्थिनी को अस्थाई निषेधाज्ञा से वर्जित फरमाया जावे कि वो प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 1812/139 तादादी 0.9122 हैक्टेयर वाकेरोही श्रीडूंगरगढ़ की पश्चिमी सींव को किसी प्रकार से खुर्द बुर्द नहीं करें, सींव में लगे कींकर के पैड़ आदि नहीं काटे ना ही तार–पट्टियां–बाड़ आदि को हटावे व ना ही वादी के खेत की भूमि पर किसी प्रकार से कब्जा करें, ना ही किसी प्रकार से प्रार्थी के कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग में दखलन्दाजी पैदा करें ना ही अप्रार्थी ऐसा कोई कृत्य या अपकृत्य करें जिससे प्रार्थी के वैध अधिकारों पर विपरीत असर पड़ता हो। अप्रार्थिनी तादावा फैसला मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई।

प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया जाकर तादावा फैसला मौका व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखें जाने का निवेदन किया गया।

अप्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस करतें हुए कथन किया गया कि खेत खसरा नम्बर 1812/139 तादादी 0.9122 हैक्टेयर रोही मौजा श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में प्रार्थी के नाम होना स्वीकार है। प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र अप्रार्थी की खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 141 तादादी 0.5000 हैक्टेयर, खेत खसरा नम्बर 142 तादादी 0.2500 हैक्टेयर, खेत खसरा नम्बर 144 तादादी 1.5200 हैक्टेयर रोही मौजा श्रीडूंगरगढ़ की खातेदारी भूमि पर आनन–फानन में 0.5600 हैक्टेयर भूमि पर नाजायज कब्जा कर उक्त प्रार्थना पत्र गलत आधारों पर प्रस्तुत किया हैं । प्रार्थी को अप्रार्थी की खातेदारी भूमि पर कब्जा करने का और अप्रार्थी की भूमि पर न्यायालय से स्थगन व किसी प्रकार का आदेश प्राप्त करने का अधिकार कानूनन नही हैं। प्रार्थी साफ हाथो से न्यायालय में नहीं आया स्वयं रोंग डोर हैं। प्रार्थी उक्त प्रार्थना पत्र के माध्यम से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने में कानूनन सक्षम नही हैं।

Signature Not Verified
Digitally Signed by Uma Mittal
Date: 2025.07.16 12:39:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1812/139 तादादी 0.9122 हैक्टेयर की आड़ में अप्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 141 तादादी 0.5000 हैक्टेयर, खेत खसरा नम्बर 142 तादादी 0.2500 हैक्टेयर, खेत खसरा नम्बर 144 तादादी 1.5200 हैक्टेयर रोही मौजा श्रीडूंगरगढ़ जो मौका पर एकल है, अप्रार्थी की खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 144 जो प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 1812/139 के चिपते ही हैं, प्रार्थी ने खेत खसरा नम्बर 144 की 0.5600 हैक्टेयर भूमि पर नाजायज कब्जा कर उक्त प्रार्थना पत्र गलत आधारों पर पेश किया हैं। प्रार्थी भू–माफिया प्रवृति का व्यक्ति है, प्रार्थी ने. अप्रार्थी की खातेदारी भूमि पर नाजायज कब्जा कर उक्त प्रार्थना पत्र गलत आधारों पर प्रस्तुत किया है, प्रार्थी उक्त प्रार्थना पत्र के माध्यम से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने में कानूनन सक्षम नही हैं। अप्रार्थी का खेत खसरा नम्बर 144 प्रार्थी के पश्चिमी तरफ स्थित होना स्वीकार है। प्रार्थी ना तो अप्रार्थी से मिला ना ही अप्रार्थी ने प्रार्थी को किसी प्रकार की धमकी दी। यहां यह अवलोकनीय है कि प्रार्थी ने अप्रार्थी की भूमि पर नाजायज कब्जा कर उक्त प्रार्थना पत्र गलत आधारों पर पेश किया है। प्रार्थी अप्रार्थी की 0.5600 हैक्टेयर भूमि पर किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने में कानूनन सक्षम नही हैं ना ही प्रार्थी को अप्रार्थी की खातेदारी भूमि पर कब्जा करने का अधिकार प्राप्त हैं । प्रार्थी दिनांक 05.02.2025 को ना तो अप्रार्थी से मिला ना ही अप्रार्थी ने 5–7 आदमियों को लेकर प्रार्थी को किसी प्रकार की कोई धमकी दी हैं । प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र को रंगत देने के उद्देश्य से गलत तथ्यों का वर्णन किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य हैं। प्रार्थी ने वादगत कब व किससे से खरीदा का वर्णन प्रार्थना पत्र में नही किया है, ऐसी स्थिति में प्रार्थी का मौका पर कब्जा, काश्त होने का प्रश्न ही पैदा नही होता हैं । प्रार्थी स्वयं रोंगडोर है, प्रार्थी न्यायालय के माध्यम से अप्रार्थी की भूमि पर पुख्ता कब्जा करने की चेष्ठा में हैं। दिनांक 18.05.2023 को अप्रार्थी ने अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश करवायी, उक्त पैमाईश में खसरा नम्बर 1812/139 के खातेदारी 'प्रार्थी' ने अप्रार्थी की खेत खसरा नम्बर 144 की 0.5600 हैक्टेयर भूमि पर नाजायज कब्जा कर रखा है, प्रार्थी ने कब्जा पुख्ता करने के लिए उक्त प्रार्थना पत्र गलत आधारों पर प्रस्तुत किया है, जो खारिज किये जाने योग्य हैं। प्रार्थी ने अप्रार्थी के खसरा नम्बर 144 तादादी 1.5200 हैक्टेयर भूमि पर नाजायज अतिक्रमण कर 0.5600 हैक्टेयर भूमि दबा रखी है, जिसका प्रार्थी को कतई कोई अधिकार नही हैं । प्रार्थी अपनी खातेदारी से अधिक भूमि पर अनुतोष प्राप्त करने में कानूनन सक्षम नही हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थी के पक्ष में ना तो प्रथम दृष्ट्या मामला बनता है ना ही सुविधा संतुलन का सिद्वान्त बनता है ना ही अपूरणीय क्षति का सिद्वान्त बनता हैं । प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य हैं। प्रार्थी का पक्षकारो असंयोजन व कुसंयोजन से ग्रसित है, प्रार्थी ने उक्त दावा/प्रार्थना पत्र में भूमिधारी स्टेट ऑफ राजस्थान को पक्षकार संयोजित नही किया हैं । प्रार्थी का प्रार्थना पत्र कानूनी नुक्स से ग्रसित है, ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य हैं प्रार्थी ने अपनी खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 1812/139 तादादी 0.9122 हैक्टेयर रोही मौजा श्रीडूंगरगढ़ की आड़ की अप्रार्थी की खातेदारी भूमि के खेत खसरा नम्बर 144 तादादी 1.5200 हैक्टेयर की पूर्वी सीमां को खुर्द बुर्द कर 0.5600 हैक्टेयर भूमि पर नाजायज अतिक्रमण कर उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Umashankar
Date: 2025.07.16 12:39:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

प्रार्थना पत्र गलत आधारों पर पेश किया है, जो खारिज किये जाने योग्य हैं । प्रार्थी को अप्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 144 तादादी 1.5200 हैक्टेयर रोही मौजा श्रीडूंगरगढ़ में से दबायी हुई 0.5600 हैक्टेयर पर किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकार काननून प्राप्त नही हैं । प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य हैं। प्रार्थी ने उक्त दावा/प्रार्थना पत्र में स्टेट ऑफ राजस्थान को ना तो पक्षकार संयोजित किया है, ना ही दावा दायरी से पूर्व 80 (2) सीपीसी की छुट प्राप्त की हैं एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में कही भी अपने खातेदारी खेत खसरा नंबर 1812/139 तादादी 0.9122 हैक्टेयर वाकेरोही श्रीडूंगरगढ में किसी प्रकार का नाप/सीमाज्ञान रिपोर्ट पेश नहीं की गई है। जबकि अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत जवाब के साथ प्रस्तुत फर्द मौका दिनांक 18.05.2023 के द्वारा करवायें गये सीमाज्ञान में खेत खसरा नंबर 144 की 0.56 हैक्टेयर भूमि खसरा नंबर 139 के खातेदार के कब्जे में दबी हुई पाई गई है। अप्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाया गया है। खेत खसरा नंबर 1812/139 के खातेदार को अप्रार्थीगण के खातेदारी भूमि पर अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करनें एवं अप्रार्थीगण की खातेदारी के खेत खसरा नंबर 144 में नाजायज अतिक्रमण कर स्थगन प्राप्त करनें का अधिकारी नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में बनना साबित नहीं होता है लिहाजा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 18.6.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.07.16 12:39:13 IST
Reason: SelfAttested